संख्या-3/2022/आई/140046/2022/फा0नं0-68-4002(003)/6/2021-4

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2022

विषयः- आय-व्ययक 2021-22 के अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत परिवर्तन लागत एवं रसोईया मानदेय मद हेतु द्वितीय किश्त जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-म0भो0प्रा0/ 2074/2021-22 दिनांक 19 जनवरी, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सामान्य मद में अनुदान संख्या-71, लेखाशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-कुकिंग लागत आदि (के.**60**/रा.**40**-के+रा)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 **207012.98000** लाख में से शासन के पत्र संख्या-फाइल नं0-68-4002(003)/6/2021-4, डिस्पैच नं0-आई/131337/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत केन्दांश की धनराशि के सापेक्ष परिवर्तन लागत हेतु अवशेष राज्यांश रु० 30201.08000 लाख (रु० तीन अरब दो करोड़ एक लाख आठ हजार मात्र) एवं रसोइया मानदेय मद हेतु अवशेष राज्यांश रु० 7825.24678 लाख (रु0 अठहत्तर करोड़ पच्चीस लाख चौबीस हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) अर्थात कुल **धनराशि रु0 38026.32678 लाख (रुपये तीन अरब अस्सी करोड़ छब्बीस लाख बत्तीस हजार छः सौ अठत्तर मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति द्वितीय किस्त के रूप में जारी करने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है-

(1) प्राथमिक विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु परिवर्तन लागत की दर रू0 4.97 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू0 2.98 तथा राज्यांश रू0 1.99 होगा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु रू0 7.45 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू0 4.47 तथा राज्यांश रू0 2.98 होगा।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सीमित रखा जाएगा।

(3) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्गत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा केन्द्रांश एवं बजट की उपलब्धता, विगत वर्षों में निर्गत समस्त धनराशियों (संगत शासनादेशों के अनुसार) का मिलान करते हुए स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तरदायी होंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-71, लेखाशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-कुकिंग लागत आदि (के.**60**/रा.**40**-के+रा)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय सं0-**यू.ओ.-ई-11-3444-दस-2021-22-दिनांक: 09-02-2022** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,
धर्मेन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- श्रमायुक्त, कानपुर।
3- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

10- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।

11- समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक,उ0प्र0।

12- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।

13- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धर्मेन्द्र मिश्र,

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।